उत्तराखण्ड शासन

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

उत्तराखण्ड

सेवा का अधिकार अधिनियम–2011

मैनुअल जनवरी 2021

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ट संख्या
1	पृष्ठभूमि	1
2	सेवा का अधिकार 2011 सेवा, सेवा का अधिकार के अन्तर्गत अधिसूचित सेवायें, रोजगार हेतु सैनिकों का पंजीकरण और पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के पहचान–पत्र बनाना।	2
3	गृहकर में छूट हेतु चिन्हीकरण, विभागीय गतिविधियों के संबंध में आवश्यक औपचारिकतायें एवं कार्य निस्तारण की अवधि (लक्ष निर्धारण की सारणी), पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का पता, दूरभाष एवं ई0मेल का विवरण एवं शिकायतों के निस्तारण (क) शिकायत प्राप्ति की स्वीकारोक्ति।	3
4	शिकायत प्रपत्र का प्रारूप, शिकायत प्राप्ति का स्थान एवं शिकायतों के अनुरक्षण हेतु पंजिकायें।	4
5	परिशिष्ठ–1 पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का पता, दूरभाष एवं ई0मेल का विवरण।	5 एवं 6
6.	परिशिष्ठ–2 सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत आवेदन को निरस्त/अस्वीकृत करने की सूचना।	7
7.	परिशिष्ठ–3 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप एवं परिशिष्ठ–4 प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप।	8
8.	परिशिष्ठ–5 द्वितीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप।	9

निदेशालय सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड
पृष्ठभूमि

1. सैनिक कल्याण विभाग की स्थापना द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त वर्ष 1947 में 'State Soldier, Sailer & Airman Board' के नाम से की गई। वर्ष 1962 तक जिला सैनिक, नाविक एवं वैमानिक परिषद के नाम से ही 'सचिव राज्य सैनिक, नाविक एवं वैमानिक परिषद के नाम से कार्य करते रहे। तदोपरान्त् उपरोक्त नाम परिवर्तित कर राज्य सैनिक परिषद एवं जिला सैनिक परिषद के नाम से राज्य सरकार के अधीन कार्य किया जाने लगा और कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति भी शासन स्तर/जिला स्तर पर की जाने लगी। तत्पश्चात् वर्ष 1981–82, में निदेशालय के रूप में निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का नामकरण किया गया तथा जिला परिषद का नाम परिवर्तित कर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय नाम रखा गया। पूर्व में नियुक्त सचिव का नाम परिवर्तित कर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी रखा गया। उत्तराखण्ड सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय की स्थापना दिनांक 26 दिसम्बर 2001 को हुई तथा ब्रिगेडियर (अ0प्रा0) डी0एस0 रावत, वी0एस0एम0 प्रथम निदेशक हुए।

2. उत्तराखण्ड राज्य बनने के पश्चात्, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2011 में अस्तित्व में आया जिसके अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुँच बनाने के लिए विभिन्न सेवाओं, (i) सेवा–निवृत्त सैनिकों के पुनर्वास हेतु पंजीकरण (ii) पूर्व सैनिकों/वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के पहचान–पत्र बनाना (iii) गृहकर में छूट हेतु चिन्हीकरण करने को सूचीबद्ध किया गया है।

3. सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सेवा का अधिकार का अधिनियम 2011 का मैनुअल तैयार कर प्रकाशित किया गया है जिसका वितरण निम्न प्रकार से किया गया :–

(क)	उत्तराखण्ड सेवा का आयोग	– 01
(ख)	अनुभाग अधिकारी, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	– 01
(ग़)	समस्त लोक सेवा अधिकारी (सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग)	– 14
(घ)	निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड	– 02

4. सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के द्वारा सैनिक कल्याण विभाग की सेवाओं के विषय में आम नागरिकों तथा सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों को सेवा प्राप्त करने में सुविधा होगी, साथ ही इस संकलन को विभागीय वेब साईट – www.sainik kalyan.org पर भी देखा जा सकता है।

निदेशक

सेवा का अधिकार अधिनियम 2011

5. सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 का मूल उद्देश्य राज्य व केन्द्र सरकार के मध्य पूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु समन्वय स्थापित करते हुए राज्य/केन्द्र सरकार के दिशा– निर्देशों के अनुसार पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं विकलांग सैनिकों तथा सैनिक आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यों का प्रभावी प्रबन्धन एवं निष्पादन करना है।

6. सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित सेवाओं को राज्य के सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों तक आसान पहुँच बनाने एवं शिकायत निवारण के लिए सभी को समयबद्ध तरीके से सेवाओं का कुशल संचालन और समाधान करना है जिससे कि राज्य एवं केन्द्र सरकार के कल्याणकारी कार्यों में सुधार और मजबूती आयेगी।

सेवा का अधिकार 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवायें।

7. कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 144/XXX(6)/2019-20(04)16 दिनांक 22 नवम्बर 2019 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के आदेश संख्या 527/20–15(3)/2015 दिनांक 21 अगस्त 2020 के अनुसार सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत निम्न तीन सेवायें अधिसूचित की गयी हैं :–

(क) **रोजगार हेतु सैनिकों का पंजीकरण**–सेवा–निवृत्ति के उपरान्त पूर्व सैनिक का पंजीकरण संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा किया जाता है। पूर्व सैनिक अभिलेख कार्यालय/डिपो बटालियन/कम्पनी द्वारा जारी दस्तावेजों को लेकर संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण हेतु सम्पर्क करना है ताकि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा प्राप्त करने एवं रोजगार हेतु पंजीकरण किया जा सके। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा पूर्व सैनिक के दस्तावेजों का सत्यापन कर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा और निर्धारित प्रपत्र (एक्स–1 फार्म) को सेवायोजन कार्यालय को अनुरक्षण हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(ख) **पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के पहचान–पत्र बनाना**– सेवा–निवृत्त होने पर संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा पूर्व सैनिक का पंजीकरण किया जायेगा। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सर्व प्रथम पूर्व सैनिक के दस्तावेजों की जांच की जायेगी और तदोपरान्त केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पहचान पत्र (Identity Card) पूर्व सैनिक को जारी किया जायेगा जिसकी सुरक्षा एवं अनुरक्षण करना पूर्व सैनिक की जिम्मेदारी होगी। मृत्यु उपरान्त यह कार्ड जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में वापिस किया जायेगा।

(ग) **<u>गृहकर में छूट हेतु चिन्हीकरण</u>** –सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं को, जो नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत निवासरत है, राज्य सरकार द्वारा गृहकर में छूट प्रदान की जाती है। वर्तमान में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत निवासरत सैनिक, पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं द्वारा गृहकर में छूट प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किया जाता है और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा गृहकर में छूट प्रदान किये जाने हेतु सैनिक, पूर्व सैनिकएवं सैनिक विधवाओं का चिन्हीकरण किया जाता है और बजट आवंटन होने पर चिन्हीकृत सैनिक, पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं की गृहकर धनराशि का भुगतान संबंधित नगर निगम को किया जायेगा।

8. **<u>विभागीय गतिविधियों के संबंध में आवश्यक औपचारिकतायें एवं कार्य निस्तारण की अवधि (लक्ष्य निर्धारण की सारणी)</u>** – प्रदेश के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग में एक निदेशालय एवं 14 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय हैं जिनके माध्यम से सैनिकों/पूर्व सैनिकों/वीर नारियों एवं सैनिक आश्रितों के कल्याणकारी कार्य सम्पादित किये जाते हैं। अधिसूचित सेवाओं संबंधित कार्यों को प्रभावी तरीके से किये जाने निम्न समय सारणी निर्धारित की गयी है :–

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी (जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी)	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
(क)	रोजगार हेतु सैनिकों का पंजीकरण।	अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, चमोली, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, लैन्सडौन, पौड़ी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर एवं उत्तरकाशी।	01 दिन	उप निदेशक, निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड, देहरादून।	निदेशक, निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड, देहरादून।
(ख)	पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के पहचान पत्र बनाना।		01 दिन		
(ग)	गृहकर में छूट हेतु चिन्हीकरण।		15 दिन		

9. **<u>पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का पता, दूरभाष एवं ई0मेल का विवरण</u>** – जनपद स्तर पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी तथा निदेशालय स्तर पर नियुक्त प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का विवरण **परिशिष्ठ–1** में दिया गया है।

10. **<u>शिकायतों के निस्तारण</u> :–**

(क) **<u>शिकायत प्राप्ति की स्वीकारोक्ति</u>** – शिकायतकर्ता के आवेदन को 07 कार्य दिवसों में स्वीकृत किया जायेगा। आवेदन निरस्त/अस्वीकृति की दशा शिकायतकर्ता को निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ठ–2** में दिया गया है।

(ख) **शिकायत प्रपत्र का प्रारूप** – कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। शिकायताकर्ता उक्त सेवाओं की सुविधा प्राप्त न होने पर सादे कागज पर अपनी शिकायत प्रेषित कर सकता है।

(ग) **शिकायत प्राप्ति का स्थान** :–

(i) जनपद स्तर – संबंधित जनपदों के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय।

(ii) निदेशालय स्तर – उप निदेशक/निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड कार्यालय।

11. **शिकायतों के अनुरक्षण हेतु पंजिकायें** – जनपद कार्यालयों एवं निदेशालय स्तर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों हेतु पंजिकायें एवं पत्रावलियों को अनुरक्षण किया जायेगा जिनका प्रारूप **परिशिष्ठ–3, 4 एवं 5** में दिया गया है।

परिशिष्ठ–1

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का पता, दूरभाष एवं ई0मेल का विवरण।

जनपदवार पदाभिहित अधिकारियों का विवरण

क0स0	जनपद का नाम	अपीलीय अधिकारियों का पदनाम एवं पता	दूरभाष नम्बर	ई0मेल
1.	अल्मोड़ा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, अल्मोड़ा।	05962–232210	zskalmora-uk @gov.in
2.	बागेश्वर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, बागेश्वर।	05962–221751	zskbageshwar-uk @gov.in
3.	चम्पावत	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, चम्पावत।	05965–230883	zskchampawat-uk @gov.in
4.	चमोली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, चमोली।	01372–251481 251295	zskchamoli-uk @gov.in
5.	देहरादून	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, देहरादून।	0135–2626091	zskdehradun-uk @gov.in
6.	हल्द्वानी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, हल्द्वानी।	05946–297345	zsknaital-uk @gov.in
7.	हरिद्वार	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, हरिद्वार।	01334–250916 9720004118	zskharidwar-uk @gov.in
8.	पौड़ी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, पौड़ी।	01368–223399	zskpauri-uk @ gov.in
9.		जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, लैन्सडौन।	01386–262365	zsklansdowne-uk @gov.in
10.	पिथौरागढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, अल्मोड़ा।	05964–226771	zskpithoragarh-uk @gov.in
11.	रूद्रप्रयाग	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, पिथौरागढ़।	8057566197	zskrudraprayag-uk @gov.in
12.	टिहरी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी।	01376–234145	zsktehri-uk @ gov.in
13.	उधम सिंह नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उधम सिंह नगर।	05944–250331	zskusnagar-uk @gov.in
14.	उत्तरकाशी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उत्तरकाशी।	01374–222191	zskuttarkashi-uk @gov.in

प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारियों का विवरण।

क0स0	कार्यालय का पता	प्रथम अपीलीय अधिकारी	दूरभाष नम्बर	ई0मेल
1.	निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, 15सी, कालीदास मार्ग, हाथीबड़कला, देहरादून	उप निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड।	0135–2741481	dskddn@gmail.com

द्वितीय अपीलीय अधिकारी का विवरण।

क0स0	कार्यालय का पता	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	दूरभाष नम्बर	ई0मेल
1.	निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, 15सी, कालीदास मार्ग, हाथीबड़कला, देहरादून	निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड।	0135–2744208	dir-soldierwel-uk@ nic.in

परिशिष्ठ–2

सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत आवेदन को निरस्त/अस्वीकार करने की सूचना

कार्यालय का नाम...

पत्रांक .... दिनांक ....

सेवा में,

....(आवेदक का नाम एवं पता)

....

....

विषय : ....

(आवेदन का विषय)

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त विषयक आवेदन पत्र दिनांक.. का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपका (सेवा का विषय).. .... हेतु दिया गया आवेदन–पत्र निम्न कारणों से निरस्त/अस्वीकृत किया गया है।

1. ....

2. ....

3. ....

यदि आप चाहें तो इस आदेश के विरूद्व –– दिनों/–– दिनांक की समय–सीमा के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जिनका नाम/पदनाम एवं पता नीचे दिया जा रहा है, से अपील कर सकते हैं।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम/पदनाम एवं पता :–

....

....

भवदीय्

नाम/पदनाम/पदाभिहित अधिकारी
कार्यालय...

परिशिष्ठ–3

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह... वर्ष....................................

क्र0 स0	आवेदक का नाम एवं पता।	सेवा जिसके लिए आवेदन दिया गया है।	आवेदन की तिथि।	निश्चित की गयी समय–सीमा की अंतिम तिथि	आवेदन स्वीकृत / निरस्त।	पारित आदेश की तिथि एवं विवरण।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

....

परिशिष्ठ–4

प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह... वर्ष....................................

क्र.स0	अपीलार्थी का नाम एवं पता।	प्रथम अपील प्रस्तुत करने की तिथि	उस पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नाम सहित) जिसके विनिश्चय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है।	अपील के निस्तारण के लिये निश्चित की गयी अंतिम तिथि।	अपील में पारित आदेश की तिथि एवं संक्षिप्त विवरण।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

परिशिष्ठ–5

द्वितीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का नाम ....
.
माह.. वर्ष....................................

क्रं. स0	अपीलार्थी का नाम एवं पता।	द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की तिथि	उस अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नाम सहित) जिसके विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।	द्वितीय अपील के निस्तारण का विवरण (क) अपील निरस्त। (ख) शास्ति का आदेश। (ग) विभागीय जांच अनुशंसा। (घ) प्रतिकर का भुगतान।	शास्ति की वसूली की तिथि	प्रतिकर की राशि के भुगतान की तिथि	विभागीय जांच की अनुशंसा के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही	पुनरीक्षण आदेश का विवरण यदि प्राप्त हो तो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)